न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
37 / 2016 / प्रा.पत्र / 2016	12.04.2016	28.07.2022

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.......प्रार्थी

बनाम

1–श्री चन्दनमल धर्मदासानी पुत्र श्री कंवरीलाल एफ.बी.ओ. मैसर्स शिव डिपार्टमेन्टल स्टोर कापडी मार्केट थाने की गली मालपुरा जिला टोंक राज. निवासी प्लॉट नं. 2, शिव कॉलोनी, बृजलाल नगर मालपुरा जिला टोंक राज.
2–मैसर्स शिव डिपार्टमेन्टल स्टोर कापडी मार्केट थाने की गली मालपुरा जिला टोंक
3–श्री राजकुमार मित्तल पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन प्रोपरायटर मैसर्स शुभम् ट्रेडर्स नवीन मण्डी गांधी पार्क के सामने मालपुरा जिला टोंक राज. निवासी गंगा नारायण गली मालपुरा जिला टोंक राज.
4–मैसर्स शुभम् ट्रेडर्स नवीन मण्डी गांधी पार्क के सामने मालपुरा जिला टोंक

.... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एफएसएसए एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार उप.।
2–अप्रार्थी एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित ।

:–निर्णय–:

दिनांक 28.07.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.12.2015 को समय 02:42 पीएम पर मैसर्स शिव डिपार्टमेन्टल स्टोर कापडी मार्केट थाने की गली मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री चन्दनमल धर्मदासानी पुत्र श्री कंवरीलाल मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री चन्दनमल धर्मदासानी ने स्वयं को मैसर्स शिव डिपार्टमेन्टल स्टोर कापडी मार्केट थाने की गली मालपुरा जिला टोंक का एफ.बी.ओ. होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **प्रोपरायटरी फूड पिण्ड खजूर गल्फ मूल पैक (Proprietary Food Dates Gulf original pack)** 500–500 ग्राम के 15 नग रखे हुए थे जिसके बैच नम्बर 361915 व दिनांक अक्टूबर 2015 थी, जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री चन्दनमल धर्मदासानी को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री चन्दनमल धर्मदासानी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **मिश्रित प्रोपरायटरी फूड पिण्ड खजूर गल्फ मूल पैक (Proprietary Food Dates Gulf original**

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

pack) वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 500–500 ग्राम के 4 नग कुल 2 किलोग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 2 किलोग्राम **प्रोपरायटरी फूड पिण्ड खजूर गल्फ मूल पैक (Proprietary Food Dates Gulf original pack)** को 500--500 ग्राम के अलग–अलग चार भागों को चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में अलग–अलग रखकर डिब्बों के ढक्कन को एयरटाइट बंद किया एवं चारों भाग हेतु चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1222 एवं पूर्ण विवरण अकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1222 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

श्री चन्दनमल धर्मदासानी पुत्र श्री कंवरीलाल एफ.बी.ओ. मैसर्स शिव डिपार्टमेन्टल स्टोर कापडी मार्केट थाने की गली मालपुरा जिला टोंक राज. ने मौके पर मैसर्स शुभम् ट्रेडर्स नवीन मण्डी गांधी पार्क के सामने मालपुरा जिला टोंक का बिल पेश कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ पिण्ड खजूर कय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स शुभम् ट्रेडर्स नवीन मण्डी गांधी पार्क के सामने मालपुरा जिला टोंक को पत्र प्रेषित कर फार्म नं. 5 ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज मंगवाने बाबत् पत्र प्रेषित किया जिस पर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त हुए परन्तु बतौर वारन्टी कोई बिल प्रेषित नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./16/231 दिनांक 19.01.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट स. एल.एस./984/एक्ट/2015/01 दिनांक 05.01.2016 के अनुसार विकेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया **प्रोपरायटरी फूड पिण्ड खजूर गल्फ मूल पैक (Proprietary Food Dates Gulf original pack)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 2(ii) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विकेता/फर्म के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 10.06.2016 को श्री प्रमोद शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

कर जवाब हेतु समय चाहा परन्तु अभिभाषक अप्रार्थी को कई अवसर देने के बावजूद भी कोई जवाब पेश नहीं किया गया और ना ही अप्रार्थीगण स्वयं न्यायालय हाजा में उपस्थित हुए। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **प्रोपरायटरी फूड पिण्ड खजूर गल्फ मूल पैक (Proprietary Food Dates Gulf original pack)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **प्रोपरायटरी फूड पिण्ड खजूर गल्फ मूल पैक (Proprietary Food Dates Gulf original pack)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 60,000/– (अक्षरे साठ हजार रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 2,00,000/– (अक्षरे दो लाख रूपये)आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 28.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज 28.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0